न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/595/2015

वउनवान

1. बबीता कुमारी पुत्री उमराव जाति जाटव निवासी खेरलीरेल तहसील कठूमर जिला अलवर

------ वादीगण

बनाम

1. टोडरमल पुत्र ताराचन्द जाति जाटव निवासी खेरलीरेल तहसील कठूमर जिला अलवर
2. उपपंजीयक महोदय कठूमर तहसील कठूमर

------ असल प्रतिवादीगण

3. उम्मेदी पुत्र भदई जाति जाटव
4. रमेश पुत्र भदई जाति जाटव
5. फतेसिंह पुत्र भदई जाति जाटव
6. अतरसिंह पुत्र भदई जाति जाटव
7. रामदेई पत्नि स्व. भदई जाति जाटव
8. हरगोविन्द पुत्र सुगना जाति जाटव निवासीयान खेरलीरेल
9. भीमाराम पुत्र हुकुमसिंह जाति जाटव निवासी हलैना
10. बिहारी पुत्र कुंदन जाति जाटव
11. ताराचंद पुत्र कुंदन जाति जाटव
12. लक्ष्मीनारायण पुत्र कुंदन जाति जाटव
13. शिवलाल पुत्र प्रभूसिंह जाति जाटव निवासीयान खेरलीरेल
14. हंसराज पुत्र ग्यारसी जाति जाटव निवासी बरोलीछार तहसील नदबई जिला भरतपुर
15. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कठूमर

------ तर0 प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

श्री कृपादयाल एडवोकेट : वकील वादी

श्री देवेन्द्र सिंह नरूका एडवोकेट : वकील प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 05.08.2019

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 377 रकवा 0.27 है0, खसरा नम्बर 378 रकवा 0.59 है0, खसरा नम्बर 553 रकवा 0.27 है0, खसरा नम्बर 206 रकवा 0.08 है0, खसरा नम्बर 531 रकवा 0.33 है0, खसरा नम्बर 532 रकवा 0.10 है0 वाके ग्राम खेरलीरेल तह0 कठूमर जिला अलवर में वाके है। वादिया के पिता उमराव व मां का स्वर्गवासी वादिया के बचपन में हो जाने के कारण वादिया अपने नाना के पास ग्राम बदरीपुर तहसील डीग जिला भरतपुर में रह रही है। वादिया के पिता उमराव ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी सं. 1 के हक में कोई वसीयत नहीं लिखी लेकिन प्रति. सं. 1 ने वसीयत हडपने के चक्कर में एक फर्जी वसीयत तैयार करवा ली व दिनांक 18.01.2001 को अपने हक में उक्त आराजी का नामान्तकरण अपने हक में करा लिया व इन्तकाल संख्या 1754 वाके ग्राम खेरलीरेल स्वीकार करा लिया। चूंकि उक्त आराजी पैतृक है व कानूनन पैतृक आराजी की वसीयत नहीं की जा सकती। वसीयत केवल स्वअर्जित आराजी की ही होती है। तहसीलदार कठूमर ने अपने निर्णय में उक्त आराजी को पैतृक व वसीयत को अनरजिस्टर्ड माना है। वादिया मृतक उमराव की एक मात्र पुत्री है । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता के फौत हो जाने के बाद उक्त आराजी वादिया को विरासत में प्राप्त हुई है तथा वादिया उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है तथा आज भी मृतक पिता उमराव के हिस्से पर कब्जे काश्त है। शेष हिस्से पर तरतीवी प्रतिवादीगण काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। प्रति. संख्या 1 का उक्त आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। वादिया ने प्रति. संख्या 1 से गलत इन्द्राज को सही कराने बाबत कहा तो उसने साफ मना कर दिया। वादिया ने उक्त आराजी से प्रति. संख्या 1 का नाम कलमजन कराकर अपने नाम खातेदारी की घोषणा कराने की अधिकारी है कि जिस हेतु दावा घोषणात्मक अदालत श्रीमान में पेश किया गया। नकल इन्तकाल संख्या 1754, नकल निर्णय तहसीलदार कठूमर नकल जमाबन्दी संवत 2058 से 2061 नकल जमाबन्दी संवत 2070 से 2073

दावा हाजा के साथ पेश है। वादिया का विवाद केवल प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज आराजी से है तरतीवी प्रति. से वादिया कोई रिलीफ नहीं चाहती इन्हें तो मात्र दावा की तकलीमी के लिये दावा हाजा में पक्षकार बनाया गया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री देवेन्द्र सिंह नरूका एडवोकेट ने जवाबदावा पेश किया उसके तथ्य इस प्रकार हैं–

इसके अनुसार उमराव की शादी सुआ नाम की महिला के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुई और उमराव व सुआ के कोई संतान पैदा नहीं हुई । उमराव व सुआ दोनों ही बिला औलाद फोत हो गये जबकि सही तथ्य यह है कि वादिया की माता का नाम फूलवती था जो शिवचरण जाटव निवासी बद्रीपुर तह. डीग जिला भरतपुर की लडकी थी और जिस फूलवती का विवाह ग्रम बामनी तह. कामा जिला भरतपुर में हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार हुआ था तथा फूलवती के विवाहित पति का स्वर्गवास ऐक्सीडेण्ट में हो गया था उसके वाद वादिया की प्राकृतिक माता फूलवती ने ग्राम बरचावली पंचायत बरचावली तह0 छाता जिला मथुरा के गिर्राज पुत्र ग्यासो जाति जाटव के साथ नाते बैठ गयी और घरवासा कर लिया ओर गिर्राज की पत्नि बन गई। जिस फूलवती व गिर्राज के नुत्फे से वादिया बबीता पैदा हुई है जो गिर्राज व फूलवती की जायन्दा पुत्री है किन्तु उसके बाद कई साल बाद गिर्राज का भी स्वर्गवास हो गया जो फूलवती का पति था और वादिया का पिता था। गिर्राज के फोत हो जाने के बाद वादिया की माता फूलवती अपनी जायन्दा लडकी बबीता को अपने पिता शिवचरण के यहां छोड दिया और फूलवती ने गिर्राज के छोटे भाई शिवनारायण के साथ घरवासा कर लिया और उसकी पत्नि बन गई। फूलवती व शिवनारायण के नुत्फे से दिनांक 14.04.1999 को एक लडका महेश पैदा हुआ। उमराव ने दिनांक 23.10.2018 को 100 रूपये के स्टाम्प पर अपनी समस्त चल अचल संपत्ति की वसीयत मिन प्रतिवादी संख्या 1 की हक में तहरीर की है जिस वसीयत पर उमराव ने अपने अंगूठे निशानी किये हैं और बतौर साक्षीगण हरगोविन्द बिहारी व रामचरणलाल श्यामलाल व दिनेश कुमार के हस्ताक्षर कराये हैं। यह वसीयत उमराव की पहली व अन्तिम वसीयत थी तथा उसके फोत होने पर उसकी खातेदार की आराजी का नामांतरण कर विधी अनुसार दिनांक 18.01.2011 को मिन प्रतिवादी नं. 1 के हक में तहसीलदार कठूमर द्वारा सुनवाई कर विधी अनुसार वसीयत को सही मानते हुए मिन प्रतिवादी नं. 1 के हक में तहसीलदार कठूमर द्वारा सुनवाई कर विधी अनुसार वसीयत को सही मानते

हुए मिन प्रति. सं. 1 के हक में नामांतरण का आदेश कर दिया व इसके हक में इंतकाल संख्या 1754 वाके ग्राम खेरली रेल स्वीकार किया गया। वादिया जब उमराव की पुत्री ही नहीं है तो वादिया को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वादिया फूलवती व गिर्राज की जायन्दा पुत्री है तो वादिया का विवादित आराजी में किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं है व ना ही कोई कब्जा है ना ही किसी प्रकार का कोई हक है तो फिर दावा वादिया चलने योग्य नहीं है जो काबिल खारिजा है।

वादी ने अपने दावा के साथ फहरिस्त दस्तावेज यथा मृत्यु प्रमाण पत्र उमराव पुत्र कुन्दनलाल , मृत्यु प्रमाण पत्र फूलवती पत्नि शिवचरण व बी.पी. एल सैंशन की फोटोप्रति व नकल इन्तकाल संख्या 1754, नकल निर्णय तहसीलदार कठूमर नकल जमाबन्दी संवत 2058 से 2061(प्रदर्श–1), नकल जमाबन्दी संवत 2062 से 2065(प्रदर्श–2), नकल जमाबन्दी संवत 2070 से 2073(प्रदर्श–3) पेश की है। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावा में साक्ष्य दस्तावेज यथा कार्यालय ग्रा.प. खटौटी का प्रमाण पत्र, ग्रा.पं. बद्रीपुर में वादिया के नाम का राशन कार्ड की फोटोप्रति पेश की। वादीगण द्वारा अपने दावा की ताईद में PW1 बबीता पुत्री उमराव व PW2 पप्पी उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र कुंदनलाल तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपने दावा की ताईद में DW1 टोडरमल पुत्र ताराचन्द, DW2 कमलेश पुत्री कुंदन, DW3 बिहारी पुत्र कुंदन , DW4 हरगोविन्द पुत्र सुगना व DW5 इमरत पुत्र हरेती के हलफनामा पेश कर बयान कराये गये।

विद्वान अभिभाषकगणों द्वारा बहस की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादिया द्वारा वाद में लिखित कथन किया है कि वादिया मृतक उमराव की एकमात्र पुत्री है कथन की पुष्टि हेतु वादिया द्वारा कठूमर विधानसभा क्षेत्र राजस्थान मतदाता सूची 1998 की असत्यापित प्रति पेश की है जिसमें उमराव की पत्नि के रूप में फूला दर्ज है इसी प्रकार मृत्यु प्रमाण पत्र फूलवती पेश किया गया है जिसमें पति के नाम के कॉलम में उमराव दर्ज है। उक्त दोनों ही दस्तावेजों से केवल मात्र यही साबित हो पाता है कि फूलवती(फूला) उमराव की पत्नि थी अथवा रही होगी। किन्तु यह साबित नहीं होता कि बबीता उमराव तथा फूलवती(फूला) की संतान है। इसी प्रकार परिवार राशन कार्ड की प्रति जिसमें मोहनदेई सरपंच ग्राम पंचायत बद्रीपुर पंचायत समिति डीग भरतपुर की मौहर अंकित है जिसमें बबीता की आयु 6 को शिवचरण एवं लच्छो की नयासी(नवासी) दर्ज किया हुआ है किन्तु इस दस्तावेज से भी बबीता उमराव की पुत्री साबित नहीं होती।इसी प्रकार बीपीएल सैन्शन–2002 (एक्जिबिट–8) उमराव के साथ बबीता को पुत्री के रूप में अंकित किया हुआ है किन्तु उक्त दस्तावेज लगातार संशोधनीय होने के कारण तथा वादिया ने अपने स्वयं

के शपथ पत्र अपने नाना ग्राम बद्रीपुर तहसील डीग में रहना बताया है एवं अपने नाना के पास ही पढना बताया है। इसी प्रकार वादिया ने अपने गवाह के रूप में पप्पी पुत्र कुन्दन जाति जाटव निवासी खेरली रेल को प्रस्तुत किया था जिस गवाह ने अपने बयानों में वादिया को बद्रीपुर में ही रहना बताया है। वादिया ने जिरह में भी कक्षा 1 से 12 तक नाना के पास पढना बताया है जिसके बाद वादिया ने अपनी अंकतालिका पेश नहीं की और ना ही अपने नाना के द्वारा बनवाये गए जन्म प्रमाणपत्र पेश किया है। वादिनी जिरह में स्वयं स्वीकार करती है कि मेरी माता फूलवती का विवाह बामनी गांव में हुआ था। उसके पति की मृत्यु के पश्चात मेरे नाना ने ग्राम वर्चावाली के गिर्राज प्रसाद के नाते बैठाना स्वीकार किया है, परिणामतः उक्त दस्तावेज (एक्जिबिट–8) भी वादिया उमराव की पुत्री है साबित नहीं कर पाया।

वादिया ने अपने वाद में उल्लेख किया है कि प्रतिवादी टोडरमल के हक में कोई वसीयत नहीं की है तथा तहसीलदार कठूमर ने वसीयत की बाबत् गलत निर्णय पारित किया है तथा मुझे बिना सुने वसीयत के इंतकाल दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं। वादिया द्वारा उक्त कथन की पुष्टि में PW2 पप्पी के मय शपथपत्र बयान दर्ज करवाये जिसमें पप्पी द्वारा उल्लेख किया गया है कि उमराव ने टोडरमल को कभी गोद नहीं लिया था, टोडरमल द्वारा फर्जी गोदनामा कराया गया था इस बाबत् प्रतिवादी द्वारा PW2 के खिलाफ कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी–107,151 के तहत इस्तगासा की निर्णित प्रति तथा रोजनामचा थानाधिकारी पुलिस थाना खेडली की प्रति संलग्न की है तथा अवगत कराया गया कि गवाह PW2 अपने बयानों उल्लेखित किया है कि PW2 तथा तारा के मध्य जमीन को लेकर विवाद चल रहा है जिस कारण प्रतिवादी न.1 से गवाह PW2 की रंजिश है और रंजिश के कारण पप्पी ने झूठा बयाना दिया है। ये गवाह प्रतिबद्ध की श्रेणी में आता है जो पढने योग्य नहीं है। दूसरी ओर प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में उमराव के दाह संस्कार के समय के फोटो वादिया के भाई महेश की अंकतालिका की फोटो प्रति, आरटीआई के द्वारा स्कूल की सूचना की प्रति, वसीयत की फोटो प्रति पेश की तथा मौके साक्ष्य के रूप में DW1 प्रतिवादी न.1 स्वयं व DW2 कमलेश व DW3 बिहारी, DW4 हरगोविन्द, DW5 अमृत को साक्ष्य के रूप में पेश किया जिन्होंने उमराव को ला औलाद होना बताया है तथा सभी गवाहों ने वसीयत का सही होना बताया है तथा प्रतिवादी न. 1 द्वारा ही उमराव का दाह संस्कार करना व नुकता करना बताया है। उक्त साक्ष्यों, तथ्यों व गवाहों के आधार पर स्पष्ट होता है कि तहसीलदार का निर्णय 18.01.2011 गलत नहीं है।

आदेश

वादिया अपने आप को उमराव की पुत्री होना साबित नहीं कर पायी है अतः दावा घोषणात्मक वादिनी खारिज किया जाता है। यह आदेश आज दिनांक 13/8/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नरेन्द्र कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 13/8/19 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

पर्चा डिक्री

...य उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/595/2015

वउनवान

1. बबीता कुमारी पुत्री उमराव जाति जाटव निवासी खेरलीरेल तहसील कठूमर जिला अलवर

------ वादीगण

बनाम

1. टोडरमल पुत्र ताराचन्द जाति जाटव निवासी खेरलीरेल तहसील कठूमर जिला अलवर
2. उपपंजीयक महोदय कठूमर तहसील कठूम

------ असल प्रतिवादीगण

3. उम्मेदी पुत्र भदई जाति जाटव
4. रमेश पुत्र भदई जाति जाटव
5. फतेसिंह पुत्र भदई जाति जाटव
6. अतरसिंह पुत्र भदई जाति जाटव
7. रामदेई पत्नि स्व. भदई जाति जाटव
8. हरगोविन्द पुत्र सुगना जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
9. भीमाराम पुत्र हुकुमसिंह जाति जाटव नि हलैना
10. बिहारी पुत्र कुंदन जाति जाटव
11. ताराचंद पुत्र कुंदन जाति जाटव
12. लक्ष्मीनारायण पुत्र कुंदन जाति जाटव
13. शिवलाल पुत्र प्रभूसिंह जाति जाटव नि खेरलीरेल
14. हंसराज पुत्र ग्यारसी जाति जाटव नि रोलीछार तहसील नदबई जिला भरतपुर
15. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कठूमर

- तर0 प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

श्री कृपादयाल एडवोकेट : वकील वादी

श्री देवेन्द्र सिंह नरूका एडवोकेट : वकील प्रतिवादी

दावा घोषणात्मक

उपरोक्त उनवान वाला प्रकरण में निर्णय दिनांक 13.08.2019 के अनुसार वादिया अपने आप को उमराव की पुत्री होना साबित नहीं कर पायी है अतः दावा घोषणात्मक वादिनी खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 13.08.2019 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

(नरेन्द्र कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर